[illegible]शाला से एक साथ प्रकाशित | महानगर | R.N.I. No. 47101/1989 | www.lokmatnews.in | epaper.lokmat.com/lo[illegible]

नागपुर का नंबर 1 अखबार *Source: ABC

लोकमत समाचार

नागपुर • शुक्रवार, 10 अगस्त 2018 | वर्ष : 30 अंक : 206 | पृष्ठ : 20+8 मूल्य : ₹5.00

दो आभूषण प्रतिष्ठानों पर बीआईएस ने मारा छापा

नकली हॉलमार्क ज्वेलरी जब्त

नागपुर | 9 अगस्त | लोस सेवा

बिना बीआईएस लाइसेंस के नकली हॉलमार्क ज्वेलरी बेचे जाने बाबत गोपनीय सूचना मिलने पर भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर शाखा कार्यालय की ओर से बुधवार को शहर के दो ज्वेलरी प्रतिष्ठानों पर छापा मारा गया. इस दौरान नकली हालमार्क ज्वेलरी भी जब्त की गई.

बीआईए द्वारा छापे की यह कार्रवाई कमाल चौक के जगदीश ज्वेलर्स और जरीपटका के आसरे ज्वेलर्स पर की गई. यहां बीआईए के बिना किसी [illegible] लाइसेंस के [illegible] हॉलमार्क मोनोग्राम वाली ज्वेलरी बेची जा रही थी. इसके जरिए ग्राहकों को गलत जानकारी देकर उनसे मोटा मुनाफा कमाया जा रहा था.

छापे की कार्रवाई के दौरान बीआईएस टीम को इन दोनों ज्वेलरी प्रतिष्ठानों से बड़े [illegible] हॉलमार्क ज्वेलरी मिली. इनमें से आपत्तिजनक ज्वेलरी को जब्त कर सील कर दिया गया और इन प्रतिष्ठानों के संचालकों को अगले आदेश तक इन ज्वेलरी को सुरक्षित रखने के लिए चेतावनी भी जारी की गई. साथ ही, जब्त की गई कुछ ज्वेलरी को [illegible] तौर पर बीआईएस कार्यालय में लाकर रखा गया. बीआईएस की ओर से इस मामले में कानूनी तौर पर आगे का कदम उठाया जा रहा है.

गौरतलब है कि बीआईएस एक्ट में ऐसे मामलों में न्यूनतम एक लाख रुपए से लेकर अधिकतम पांच लाख रुपए तक जुर्माने या एक साल की जेल का प्रावधान है. ऐसे में ज्वेलरी बेचते समय इंडियन स्टैंडर्ड नंबर (आईएस नंबर 1417 : 2016) के जरिए जेन्युइन लाइसेंसी द्वारा स्टैंडर्ड मार्क के साथ हॉलमार्क ज्वेलरी बेची जा सकती है. लेकिन जगदीश ज्वेलर्स और आसरे ज्वेलर्स में ऐसी ज्वेलरी नजर नहीं आई. इस आधार पर अगली कार्रवाई करने के लिए इन प्रतिष्ठानों से नकली हालमार्क ज्वेलरी जब्त कर ली गई है.

Scanned by CamScanner